कार्यालय नगर पालिका इटावा
जिला कोटा (राज.)

E-mail id – npitawa01@gmail.com **Phone No.** – 07458-294015

क्रमांक : न.पा.इ. / 2025–26 / **6091** दिनांक : **02.02.2026**

<u>प्रारूप–11</u>

<u>नियम – 7(1)</u>

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

मामला सं...................वर्ष ....

सचिव आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करनें।

1. उपर नामित आवेंदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **शैक्षणिक** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेंदक किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
पीपल्दा	इटावा	1005 1007 2567	रकबा 0.14 है0 रकबा 0.32 है0 रकबा 0.72 है0 कुल रकबा 1.18 है0

2. आवेंदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व ,खसरा अनुरेख सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बन्धपत्र और शपथ पत्र, की मेप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।
3. यह की मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेंदन और दस्तावेजो / कथनो का परीक्षण कर लिया है। मैने सम्बन्धित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदिंत भूमि का गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए वाछिंत उपयोग मास्टर योजना / विकास योजना / स्कीमके अनुरूप है आवेदक के आवेंदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिपियम की धारा और तद्धीत बनाये गये नियमो के उपबन्धो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृत अधिकारी निर्वापित करके भूमि का **शैक्षणिक** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 2567 रकबा 0.72 है0, कुल रकबा 1.18 है0 की ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा में स्थित भूमि पर आवेंदक के अभिधृति अधिकारो को उक्त भूमि का **शैक्षणिक** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेंदक / आवेंदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि,नियमो,विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेंदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम,नगरीय, निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारो के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमो के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबन्धनो और शर्तो के आवेंदक द्वारा पालना की जायेगी।

(राजू लाल मीणा)
प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका इटावा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका इटावा

क्रमांक / न.पा.इ. / 2025–26 / **6092–93** दिनांकः **02.02.2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही

1. सचिव / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका इटावा।
2. तहसीलदार पीपल्दा तहसील को पूर्वोत्तर भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. सचिव आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका इटावा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका इटावा

E:\NP Itawa DATA\ETAWA NP 2025-26\Latter 2025-26\TDR 2025-26\Praru -11 2025-26.docx